मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक बी-25/8/95/पी.डब्लू.सी/चार

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-- मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (Death cum Retirement Gratuity) के प्रयोजन के लिये मंहगाई भत्ते के एक भाग को मंहगाई वेतन के रूप में गिना जाना तथा उपादान की अधिकतम राशि की सीमा में वृद्धि.

संदर्भः--वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ बी 6/2/94/नि-2/चार, दिनांक 21-4-1994.

राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञाप द्वारा 16-9-93 को अथवा इस तारीख के पश्चात सेवानिवृत्त या मृत शासकीय सेवकों के प्रकरणों में उनके महंगाई भत्ते के 20% भाग को सेवानिवृत्ति उपादान तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गणना में लिये जाने के आदेश प्रसारित किये हैं.

2. राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि 1-4-1995 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्ति या मृत शासकीय सेवकों के मामलों में उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ता [जैसा कि दिनांक 1-7-1993 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 के औसत से जोड़ा गया था] के एक भाग को निम्नानुसार, सेवानिवृत्ति उपदान तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के लिये गणना में लिया जावेगा:--

क्र.	वेतन श्रेणी	महंगाई भत्ता जो उपदान के लिये गणना में लिया जावेगा
1.	मूल वेतन 3500 रुपये तक	मूल वेतन का 97 प्रतिशत.
2.	मूल वेतन 3500 रुपये से अधिक परन्तु 6000 रुपये तक.	मूल वेतन का 73 प्रतिशत-न्यूनतम 3395 रुपये
3.	6000 रुपये से अधिक मूल वेतन	मूल वेतन का 63 प्रतिशत-न्यूनतम 4380 रुपये.

3. उपरोक्त दरों में वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 21-4-1994 द्वारा स्वीकृत 20 प्रतिशत की राशि सम्मिलित है.

4. राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 1-4-1995 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु प्रकरणों में रुपये एक लाख से बढाकर 2.50 लाख की जाये.

5. ऐसे प्रकरणों में जहां 1-4-1995 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु हो गई हो, पेंशन प्राधिकृत करने वाले प्राधिकारी स्वयमेव उपदान राशि का पुनरीक्षण करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्रमांक बी-25/8/95/पी.डब्लू.सी/चार

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1995

प्रतिलिपिः--

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन,भोपाल.
9. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर./ भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय, 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
11. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्युनिटी हाल, न्यू मार्केट, टी . टी.नगर, भोपाल.
12. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय, 85/61, तुलसी नगर, भोपाल
13. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5,साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
14. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45, बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल
15. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
16. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय-98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
17. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय 83/85 तुलसी नगर, भोपाल
18. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.
19. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश.
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(ए. एन. अस्थाना)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.